धनबाद समाहरणालय,
(जिला भू–अर्जन पदाधिकारी का कार्यालय)

ज्ञापांक–514 / भू0अ0 दिनांक–02 / 06 / 2020

असाधारण अंक:–......17...... दिनांक–.....29.9.202......

अधिसूचना

अन्तराजीय बस अड्डा निर्माण हेतु **मौजा–पाण्डुकी मौजा नं0–90** में अर्जित की जा रही भूमि के भू–अर्जन के लिए भूमि अर्जन पुनर्वासन एंव पूर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकार एंव पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के अनुरूप भूमि का स्थलीय एंव अभीलेखीय सत्यापन लोकसभा निर्वाचन–2019 एंव विधान सभा आम निर्वाचन –2019 में कार्यां की अधिकत्ता के कारणवश विलम्ब से हो पाया एंव लॉकडाउन अवधि के कारणवश अधियाची विभाग द्वारा प्राकल्लित राशि उपलब्ध नही करा पाया है, जिसके कारण निर्धारित अवधि में अधिनियम की धारा19(1) के अन्तर्गत अधिघोषणा ससमय निर्गत नही किया जा सका है।

अतः अन्तराजीय बस अड्डा निर्माण हेतु **मौजा–पाण्डुकी मौजा नं0–90 अंचल–गोविन्दपुर रकवा–0.8300 एकड़ यानि 0.336 हेक्टेयर** रैयती भूमि का भू–अर्जन के लिए भूमि अर्जन पुनर्वासन एंव पूर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकार एंव पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013, की धारा 19(7) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिनियम की धारा–19(1) के अन्तर्गत अधिघोषणा हेतु दिनांक–04.06.2020 से 03.06.2021 तक एक वर्ष की अवधि विस्तार की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

ह0 / –

उपायुक्त, धनबाद

–सह–

समुचित सरकार।